



अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए-223, भ्राखला आध्यात्मिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली-110020
सीआईएन: U74899DL1978NPL008877 टेलीफोन : 011-40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र/त्रों') द्वारा क्रमशः जारी सामान्य परिपत्र संख्या: 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं अन्य अधिमान्य परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, परिषद की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन बुधवार, दिनांक 09 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।

एमसीए के परिपत्र/त्रों के अनुसार, 47वीं एजीएम की सूचना एवं 31 मार्च, 2026 (वार्षिक रिपोर्ट) को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2025-2026 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते परिषद के पास पंजीकृत हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र/परिपत्रों में की गई व्यवस्था के अनुसार, 47वीं वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां सदस्यों को भिजवाई जानी अपेक्षित नहीं हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसरण में 47वीं वार्षिक आम बैठक के सभी संकल्पों का निष्पादन ई-वोटिंग के माध्यम से किया जाना है। तदनुसार, यह अनुरोध है कि कृपया परिषद की वेबसाइट अर्थात् www.aepcindia.com पर उपलब्ध "कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के अलावा संकल्पों की ई-वोटिंग से संबंधित नियम" तथा "कार्यकारी सदस्यों के चुनाव से संबंधित नियम" से संदर्भ प्राप्त कर लें।

कृपया यह भी ध्यान दें कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, कॉर्पोरेट संकाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियोविजुअल विधियों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जा रही वार्षिक आम बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की पात्रता प्राप्त होगी।

कृपया ध्यान दें कि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ. 13/3/2023-ई और एमडीए-डीओसी दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से ईपीसी/एफआईआईओ द्वारा अपनाने के लिए एसोसिएशन/उपनियमों का अंतिम अनुच्छेद जारी किया और केवल नए मॉडल उपनियमों के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया।

तदनुसार, परिषद की कार्यकारी समिति ने 21 जुलाई 2026 (मंगलवार) को आयोजित अपनी बैठक में कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 09 सितंबर, 2026 (बुधवार) को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिषद की 47वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया, जो एसोसिएशन के नए मॉडल अनुच्छेद/उपनियमों के अनुसार 47वीं एजीएम में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य कृपया कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मॉडल उपनियम, नामांकन फार्म और चुनाव नियमों को परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com से देखें और डाउनलोड करें।

सदस्य 26.08.2026 को कार्य समय समाप्त होने तक 1,00,000/- (एक लाख रुपए केवल) जमा करवाने के पश्चात अपने नामांकन दस्तावेज भौतिक रूप से परिषद के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा वे 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए केवल) जमा करवाने के इलेक्ट्रॉनिक जमा/विवरण के साथ अपने नामांकन दस्तावेज दिनांक 26.08.2026 को समय समाप्त होने तक, ई-मेल पते sumit.gupta@aepcindia.com के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जमा धनवापसी केवल उन्हीं सदस्यों को वापस की जाएगी, जो कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में या तो सफल होंगे अथवा जिन्हें ई-वोटिंग के माध्यम कुल मान्य 25 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त होंगे।

इसके अलावा, कार्यकारी समिति के सदस्यों की चुनाव नियमावली के नियम 14 के अनुसरण में कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन फार्म में किए गए हस्ताक्षरों के समान हस्ताक्षर युक्त फार्म-II को प्रस्तुत करके, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी के ऐसे अनुरोध परिषद के पंजीकृत कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 29.08.2026 को व्यवसाय समय समाप्त होने अथवा नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अथवा इन्हें दिनांक 29.08.2026 को समय समाप्त होने तक ई-मेल पते sumit.gupta@aepcindia.com के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें उल्लिखित निर्धारित समयावधि में नामांकन वापस लिए जाने की स्थिति में नामांकन के लिए जमा करवाई गई धनराशि की धनवापसी कर दी जाएगी।

विदेश व्यापार नीति 2023 की प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 2.77 और 2.78 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा जाए, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (नियमावली) द्वारा संशोधित किया गया है, परिषद अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है, जिससे वे 47वीं एजीएम में एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

वार्षिक आम बैठक ('रिमोट ई-वोटिंग') के अलावा किसी अन्य स्थल से सदस्यों को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से करने तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा नेशनल सिंक्रोसिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अधिनियम तथा नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:

- वार्षिक आम बैठक के संबंध में दिनांक 21.07.2026 के नोटिस में सूचीबद्ध सभी संकल्पों (कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव सहित) पर केवल इलेक्ट्रॉनिक विधियों से ही संव्यवहार किया जाना है।
- रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 08.09.2026 (रविवार) को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 08.09.2026 (मंगलवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। दिनांक 08.09.2026 को सायं 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वार्षिक आम बैठक में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारण करने की कट-ऑफ तारीख 02.09.2026 (बुधवार) है, तथा जिन सदस्यों का नाम कट-ऑफ तिथि को परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है और पंजीकृत निर्यातक, जो 25.07.2024 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी मॉडल उप-नियमों में प्रदान की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- नोटिस के प्रेषण के पश्चात यदि कोई कट-ऑफ तिथि अर्थात् 02.09.2026 तक परिषद की सदस्यता धारण करता है तो वह evoting@nsdl.com के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।
- सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिए गए प्रत्येक नोट एवं विशेषतः वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देशों, रिमोट ई-वोटिंग अथवा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग एवं दिनांक 28.07.2026 के समाचार पत्रों में सदस्यों के लिए प्रकाशित नोटिस का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।
- वार्षिक आम बैठक का नोटिस परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेषधारकों/सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) तथा शेषधारकों के ई-वोटिंग उपयोक्ता मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.com को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नेशनल सिंक्रोसिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड ब्लॉक, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई -400013 में श्री अमित विशाल, उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, उप उपाध्यक्ष से उनके निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.co.in अथवा AmitV@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नम्बर 91-22-48867000 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।
- सदस्य, कृपया यह ध्यान दें कि : क) एनएसडीएल द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी; ख) 47वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से 47वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु 47वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के दौरान उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी; ग) 47वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्यों को 47वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की अनुमति प्राप्त होगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं दिया है; तथा घ) ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम कट-ऑफ तारीख को परिषद द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है और पंजीकृत निर्यातक, जो 25.07.2024 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी मॉडल उप-नियमों में प्रदान की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 47वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के हकदार हैं।
- इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से दिनांक 03.09.2026 से दिनांक 09.09.2026 (दोनों दिन सहित) तक बंद रखा जाएगा।

कृते अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

दिनांक : 11/08/2026

स्थान : नई दिल्ली

(सुमित गुप्ता)

कंपनी सचिव

Jansatta 12/8/2026